राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग
(परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2000
अधिसूचना
जयपुर

संख्या राविविआ/सचिव/विनियम/5. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91 (4) व 181 के द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-,

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-**

(प) ये विनियम राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2000 कहे जायेंगे।

(पप) ये शासकीय राज पत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत होंगे।

3. **कार्य का विस्तार :-**

(क) परामर्शियों को सामान्यत: दिन-प्रतिदिन के नेमी कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(ख) परामर्शियों को ऐसे विशेषज्ञीय कार्य-विशेष को निष्पादित करने के लिए लगाया जायेगा जिसके लिए आयोग के कर्मचारिवृन्द में कौशल उपलब्ध नहीं है या जहां काम विनिर्दिष्ट या समयबद्ध प्रकृति का है।

(ग) लगाये जाने के ब्यौरेवार निबंधन प्रत्येक मामले में लेखबद्ध किये जायेंगे और परामर्शिता के प्रदान किये जाने से पहले परामर्शी और आयोग के बीच उन पर परस्पर सहमत हो लिया जायेगा।

(घ) लगाये जाने के निबंधनों, में परामर्शी द्वारा जिस कार्य-विशेष का जिम्मा लिया गया है उसकी ठीक-ठीक प्रकृति प्रत्येक कार्य विशेष को पूरा करने के लिए अनुमत समय और प्रत्येक कार्य विशेष के संबंध में परामर्शी द्वारा किये जाने वाले विनिर्दिष्ट परिमाण को विनिर्दिष्ट किया जायेगा। तथापित आयोग, प्रतिधारणता आधार पर भी परामर्शियों का नियुक्त कर सकेगा।

4. **लगाये जोने की कालावधि :-**

परामर्शियों का न्यूनतम आवश्यक कालावधि के लिए लगाया जायेगा और किसी भी मामले में लगाये जाने की अधिकतम कालावधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. **फीस और अन्य प्रभार :-**

किसी परामर्शी को प्रत्येक समनुदेशन के लिए संदेय फीस वह होगी जो आयोग द्वारा अवधारित की जाये।

6. **परामर्शियों की नियुक्ति :-**

(प) विनिर्दिष्ट कार्य-विशेष के लिए परामर्शी की नियुक्ति के निर्देश-निबंधन आयोग के किसी अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे और आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सचिव को प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

(पप) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आयोग द्वारा निर्देश -निबंधनों को अनुमोदन हो जाने के पश्चात् सचिव, हितबद्ध परामर्शियों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए और इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक मामले को समुचित प्रचार मिल रहा है, प्रस्तावों के लिए अनुरोध जारी करवायेगा। तथापि, उस दशा में लोक विज्ञापन की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक नहीं होगा। जब संदेय फीस का प्राक्कलित मूल्य 2 लाख रूपये से कम हो।

(पपप) लोक विज्ञापन जारी करके या अन्य प्रकार से किसी व्यक्ति परामर्शी या परामर्शी फर्म के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया वह होगी जो आयोग द्वारा अवधारित की जाये।

(पअ) एकल स्त्रोत चयन का उपयोग आपवादित मामलों में केवल वहां किया जायेगा जहां वह इसलिए उपयुक्त और स्पष्ट लाभ का द्योतक हो कि:

(क) कार्य-विशेष उस पिछले काम की स्वभाविक निरन्तरता का द्योतक है जिसे परामर्शी ने किया है, या

(ख) त्वरित चयन आवश्यक है, या

(ग) समनदेशन छोटे-छोटे हैं और संदेय फीस प्रत्येक मामले में 2 लाख रूपये से या किसी प्रतिधारण के लिए एक वर्ष 2 लाख रूपये से अधिक नहीं है, या

7. **हितों की प्रतिकूलता :-**

परामर्शियों को किसी भी ऐसे समनुदेशन के लिए भाड़े पर नहीं रखा जायेगा जो अन्य कार्यार्थियों के साथ की उनकी पूर्व या वर्तमान बाध्यताओं के प्रतिकूल हो या जो उन्हें ऐसी स्थिति में ला दे जिसमें वे समनुदेशन को वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष रूप से क्रियान्वित करने में समर्थ न हो सकें।

8. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :-**

यदि इन विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई भी कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों से अनसंगत ऐसा कुछ भी कर सकेगा जो कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

आयोग के आदेश से,
पी.दयाल,
सचिव
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग